न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प उज्जैन (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक : /2016 निगरानी नि० -436- III-16

श्री योगेश गोस्वामी अभि० द्वारा उज्जैन केम्प पर प्रस्तुत 20-1-16

सौदानसिंह पिता श्री मोढसिंह जी आयु 40 चालीस वर्ष धन्धा–खेती निवासी ग्राम केसरपुर तहसील घट्टिया जिला उज्जैन

—आवेदक / निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1–(एक) ललीत कुमार पिता श्री मांगीलाल जी बोथरा आयु 47 सैतालीस वर्ष धन्धा–कृषि व आर.टी.ओ एजेन्ट निवासी 16 सौलह नीमचौक नयापुरा उज्जैन

योगेश गोस्वामी एड० 20.1.16

2–(दो) मनोहरसिंह पिता प्रहलादसिंह जी राजपूत आयु 42 बयालीस वर्ष धन्धा–कृषि निवासी ग्राम केसरपुर पोस्ट कागदी कराड़िया तहसील घट्टिया जिला उज्जैन

3–(तीन) मध्यप्रदेश शासन द्वारा नायब तहसीलदार महोदय टप्पा पानबिहार तहसील घटिया जिला उज्जैन म.प्र.

—अनावेदकगण

माननीय नायब तहसीलदार महोदय टप्पा पानबिहार तहसील घटिया जिला उज्जैन के आदेश दिनांक 22/12/2015 से असंतुष्ट होकर उक्त निगरानी धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत ।

माननीय महोदय,

आवेदक की और से निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत है:–

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

यह कि अनावेदक कमाक 1 के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष केवल अनावेदक कमांक 2 को पक्षकार बनाते हुए नामान्तरण आवेदन पत्र वर्ष 2014मे दिया गया था. तथा जिसमे यह आधार लिया था कि भमि सर्वे कमांक 209 / 1

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 436–तीन/2016 जिला उज्जैन

सौदान सिंह विरूद्ध ललीत

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–2–2016	आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार कोतमा जिला अनूपपुर के प्रकरण कमांक 64/अ–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 22–12–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। प्रकरण में संलग्न आदेश की सत्यप्रतिलिपि के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को तहसील न्यायालय में जबाव हेतु अनेक अवसर दिये जाने के बाद आवेदक के जबाव का अवसर समाप्त कर दिया। आवेदक अभिभाषक का यह भी तर्क है कि यह प्रकरण नामांतरण से संबंधित है तथा तहसील न्यायालय में आवेदक का जबाव आवश्यक है। आवेदक को जबाव हेतु अवसर प्रदान किये गये हैं फिर भी आवेदक अभिभाषक के तर्कों से सहमत होते हुये न्यायहित में एक अंतिम अवसर जबाव प्रस्तुत करने के लिए प्रदाय करने हेतु अधीनस्थ तहसील न्यायालय निर्देश दिये जाते है। प्रकरण का इस निर्देश के साथ निराकरण किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	